

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात में वृद्धि

1332. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार किसी निर्यात कार्यनीति पर कार्य कर रही है ताकि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में तेजी से वृद्धि की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि निर्यातकों ने निर्यात ऋण में गिरावट और उच्च ब्याज दरों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं;
- (ग) यदि हां, तो इन चिंताओं का समाधान खोजने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं;
- (घ) चीन से वस्तुओं की डंपिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं; और
- (ङ) दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राजस्थानी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार ने हाल ही में वस्तुओं और सेवाओं दोनों में 20 महत्वपूर्ण देशों और 6 फोकस वाले क्षेत्रों की पहचान की है। भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए इन 20 महत्वपूर्ण देशों में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक विंग के अधिकारियों के साथ दिनांक 6 से 8 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये 20 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और वियतनाम थे। इस बैठक ने बहुपक्षीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापार के लिए प्रचालनात्मक और लॉजिस्टिक अवरोधों को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्यनीतिक समाधान पता लगाने पर फोकस किया। भारतीय निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्रवाई योग्य कार्यनीतियों के एक सेट की सिफारिश की गई थी जिसमें उभरते बाजार अवसरों का पता लगाने के लिए एक व्यापक डेटा एनालिटिक्स पोर्टल की स्थापना करना और बाजार पहुंच सूचना के साथ लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) का सहयोग करने के उद्देश्य से 'ई-कनेक्ट पोर्टल' की स्थापना करना शामिल था। मिशनों से आग्रह किया गया कि वे अपने-अपने देशों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहलों का सहयोग करें, ब्रांडिंग में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करें, बाजार पहुंच बढ़ाएं और बढ़े हुए निर्यात के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करें।

(ख) और (ग): सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों, संघों, व्यापार निकायों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है। निर्यातकों द्वारा जताई गई चिंताओं का समाधान बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यात ऋण में वृद्धि सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से किया जाता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों को निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों को क्रेडिट फ्लो में सुधार लाने के मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर नियमित रूप से जागरूक किया जाता है।

(घ) सरकार ने घरेलू उद्योग के संरक्षण और निष्पक्ष व्यापारिक परिपाटियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन से वस्तुओं की डंपिंग से संबंधित चिंताओं के निदान के लिए निम्नानुसार कई उपाय कार्यान्वित किए हैं:

- i. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के लिए व्यापार उपचारात्मक कार्रवाईयों की सिफारिश करने का अधिकार है। डीजीटीआर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से चीन के विरुद्ध एंटी-डंपिंग जांच सहित 134 व्यापार उपचारात्मक जांच शुरू की हैं।
- ii. अवमानक आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू उद्योगों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन हेतु सख्त गुणवत्ता मानक और उपायों को लागू किया गया है।
- iii. भारत में अवमानक उत्पादों के आयात को कम करने के लिए स्टील, खिलौने, रसायन, चमड़ा और फूटवियर जैसे कई उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं।
- iv. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की है, जहां आयात पर पर्याप्त निर्भरता है।

(ङ) राजस्थान राज्य सहित देश में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख पहलें की गई हैं जो निम्नवत हैं :

- i. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यात संबंधी अवसंरचना में वृद्धि करने, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी करने आदि के लिए पूरे भारत में निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु वित्तीय सहायता हेतु केंद्रीय क्षेत्र की विशिष्ट स्कीम है।
- ii. वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें हस्तशिल्प के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यकता आधारित क्रियाकलापों की परिकल्पना की गई है। मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज (एमएसएस) घटक के तहत, हस्तशिल्प सेक्टर को राजस्थान सहित पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों तक पहुंच प्रदान की जाती है।

iii. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की निर्यात हब पहल के रूप में जिलों के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को विकेन्द्रीकृत किया जा रहा है ताकि जिलों को उनके प्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभों का लाभ उठाने के लिए चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की निर्यात वृद्धि को बढ़ाने में सक्रिय हितधारक बनाया जा सके। जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी वैश्विक बाजारों में सफल होने के लिए व्यवसायों, एमएसएमई और छोटे स्तर के निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सहयोग प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स साझेदारों, सरकारी हितधारकों और उद्योग संघों के साथ आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत चिन्हित निर्यात क्षमता वाले जिला-वार उत्पादों/सेवाओं की सूची(www.dgft.gov.in/CP) पर उपलब्ध है ।

डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण इस पहल के अंतर्गत चिन्हित किए गए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हब के रूप में जिलों के तहत आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ई-कॉमर्स साझेदारों के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप, मार्च से जून, 2024 तक फरीदाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना, **जोधपुर**, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, जमशेदपुर और वाराणसी में 10 जिला निर्यात आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आउटरीच कार्यक्रमों का दूसरा चरण अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच हावड़ा, **जयपुर**, हरिद्वार, कानपुर नगर, मदुरै, मिर्जापुर, राजकोट, बालासोर, जालंधर, आगरा और मेरठ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।
